संख्या-3890/नौ-5-2016-154बजट/2015

प्रेषक,

अजय कुमार ओझा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
लोनी जनपद गाजियाबाद।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 16 मार्च, 2017

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में 'नगरीय सड़क सुधार योजना' के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-772/न0पा0प0/नगरीय सड़क सुधार योजना/2015-16 दिनांक 02 नवम्बर, 2016 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वित्तीय वर्ष 2015-16 में **'नगरीय सड़क सुधार योजना'** के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-251/2015/236एम/नौ-5-2015-154बजट/2015 दिनांक 24 जुलाई, 2015 द्वारा नगर पालिका परिषद, लोनी जनपद गाजियाबाद में सड़क सुधार कार्यो हेतु स्वीकृत धनराशि रू. 18.00 लाख की उपयोगिता अवधि दिनांक **31 मार्च, 2017** तक इस शर्त के अधीन बढ़ायी जाती है कि सम्बन्धित नागर निकाय द्वारा इस अवधि में प्रत्येक दशा में स्वीकृत कार्य पूर्ण कराकर धनराशि का उपभोग सुनिश्चित करते हुए प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद, शासन तथा निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

भवदीय,

(अजय कुमार ओझा)
अनु सचिव।

संख्या-3890(1)/नौ-5-2016-154बजट/2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, मेरठ।
3. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
4. कोषाधिकारी, गाजियाबाद।
5. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, लोनी जनपद गाजियाबाद।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल बेवसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(अजय कुमार ओझा)
अनु सचिव